विवरण ।।

सरकार द्वारा वन्यजीव जन्तुओं की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम

(1) कानून द्वारा अनुसूचित वन्यजीव जन्तुओं के शिकार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

(2) शिकार रोधी अवसंरचना को मजबूत बनाने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

(3) बाघों, हाथियों और गैंडों तथा उनके वासस्थलों की सुरक्षा एवं परिरक्षण के लिए विशिष्ट स्कीमों को कार्यान्वित किया जा रहा है।

(4) जब कभी वन्यजीव जन्तुओं के अवैध व्यापार की सूचना वन्यजीव प्राधिकारियों को मिलती है तो वे छापे मारते हैं।

(5) वन्य वनस्पतिजात और प्राणि-जात के परिरक्षण के लिए वन्यजीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों के एक नेटवर्क की स्थापना की गई है। राज्य सरकारों के अनुरोध पर राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(6) जीवजन्तुओं की संकटापन्न प्रजातियों और उनसे निर्मित वस्तुओं के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को वन्य प्राणिजात और वनस्पतिजात की संकटापन्न प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार सम्बन्धी कन्वेंशन (साइट्स) के उपबंधों के तहत विनियमित किया जाता है।

(7) देश के प्राय: प्रमुख निर्यात केन्द्रों पर वन्यजीव उत्पादों की तस्करी को रोकने के लिए वन्यजीवन संरक्षण के क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गए हैं।

Producers of House on Wheels and Caravans

*55. DR. SHRIKANT RAMCHAN, DRA JICHKAR:
SHRI RAM RATAN RAM:

Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) how many producers of 'House on Wheels' or 'Caravans' are there in the country and what is their annual production;

(b) what is the policy of Govern* ment in this regard;

(c) what is being done to encourage such production; and

(d) whether Government plan any camping sites for such caravans in metropolitan cities?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTlER): (a) to (d). As per Motor Vehicles Act there are no vehicles called 'House on Wheels' or 'Caravans. The Government have also no specific scheme for assistance in the production of House on Wheels and Caravans for for setting up of any camping sites.

Misuse of TADA

*56. SHRI GAYA SINGH :
SHRI GURUDAS DAS GUPTA

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the number of persons booked under TADA during last five years is more than one lakh;

(b) wheher it is also a fact that the TADA Act has been blindly misused by Government and by the police;

(c) if so, what are the details thereof; and